Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 27/03/2019

(1) File No. NSU/14/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(2) File No. RSBS/44/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव**,
राजस्व विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. **जिला कलेक्टर**
जिला छिंदवाड़ा
(म.प्र.)

विषयः दिनांक 06–03–2019 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा एसडीएम छिंदवाड़ा राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश, के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 06–03–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
27/3/2019
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सत्ती स्टेट, छत्तीसगढ़, हरि गुजर महल सक्ति, जिला जांजगीर, 495689 (छत्तीसगढ़)
2. श्री नेपाल सिंह उइके, संगठन मंत्री म.प्र. आदिवासी विकास परिषद, जिला शाखा छिंदवाड़ा, मु. पो. वाबाचौरई–गुढ़ी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(NSU/14/2017/STGMP/DELAAL/RU- III)

(RSBS/44/2018/STGMP/DELAAL/RU-III)

पूर्वजों की जमीन सक्ति हाउस छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश में आशाराम एवं उनके साथियों द्वारा किए गए अवैध कब्जा को हटाकर कब्जा दिलाने बाबत – श्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, सक्ति स्टेट, छत्तीसगढ़, हरिगुजर महल सक्ति, जिला जांजगीर के अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 06/03/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 06/03/2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, सक्ति स्टेट, छत्तीसगढ़, हरिगुजर महल सक्ति, जिला जांजगीर द्वारा पूर्वजों की जमीन सक्ति हाउस छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश में आशाराम एवं उनके साथियों द्वारा किए गए अवैध कब्जा को हटाकर कब्जा दिलाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था जिस पर आयोग ने संज्ञान लेकर दिनांक 23.08.2018 को नोटिस भेजी ।
2. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 15.10.2018 को जिला कलेक्टर, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को बैठक के लिए नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित था। मध्यप्रदेश विधानसभा का चुनाव होने की वजह से जिला कलेक्टर द्वारा समय की मांग की गई थी तदनुसार बैठक स्थगित कर दी गई थी।
3. पुनः माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 08.03.2019 को दोपहर 2.00 बजे बैठक निर्धारित की गई। जिसके लिए जिला कलेक्टर, छिंदवाड़ा और प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को बैठक की नोटिस दिनांक 05.03.2019 को भेजी गई थी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. दिनांक 08.03.2019 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला कलेक्टर कार्यालय, छिंदवाड़ा की ओर से श्री अतुल सिंह, एसडीएम उपस्थित हुए।
5. बैठक में आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा गया, धर्मेंद्र सिंह सुपुत्र श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह, सक्ति परिवार ने बताया कि मेरी पूर्वज रानी इंदुमती साहिबा पति राजबहादुर लीलाधर सिंह सक्ति के नाम राजस्व प्रकरण क्रमांक 31/अ - 37/1962-63 दिनांक 30.09.1965 के अनुसार 9,63,112 वर्गफुट भू-भाटक 774.72 रुपये पर लीज अवधि दिनांक 31.03.1995 तक लीज स्वीकृत की गई थी।
6. रानी इंदुमती साहिबा बेवा राजबहादुर लीलाधर, सक्ति स्टेट ब्लॉक नंबर 45, प्लॉट नंबर-2/2 क्षेत्रफल 678338 वर्गफुट भूमि, मद- बंगला-बगीचा एवं कृषि भू-भाटक 220.77 रुपये पर संधारण खसरा वर्ष 1982-83 के अनुसार लीजधारी है। इंदुमती एवं ज्ञानदा देवी के द्वारा दिनांक 22 मई 1987 को उपरोक्त प्रश्नाधीन नजूल भूमि के संबंध में एक निजी न्यास का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय छिंदवाड़ा में कराया गया।
7. मेरे पूर्वजों द्वारा सक्ति ट्रस्ट का गठन किया गया जिसका उद्देश्य - आदिवासी वर्ग के गरीब स्कूली छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना, गरीब व्यक्तियों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, संस्कृत भाषा का प्रचार करना, अंधे, बहरे, गूंगे, गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, गरीब विधवाओं को सहायता प्रदान करना आदि था। उक्त ट्रस्ट में रानी इंदुमती, कु. ज्ञानदा देवी, श्रीमती लक्ष्मीबाई चितले, श्रीमती सुधा राजपूत, श्रीमती रेणू वर्मा को ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त कियी गया था।
8. दिनांक 09.07.1990 को रानी इंदुमती का निधन होने के बाद अन्य सदस्य ट्रस्ट को चला रहे थे, दिनांक 24.03.1998 को राजकुमारी ज्ञानदा देवी के निधन के पश्चात संत आशाराम ने अन्य साथियों के साथ षंड्यंत्रपूर्वक अन्य सदस्यों (लक्ष्मी चित्तले, श्रीमती रेणू वर्मा, सुधा राजपूत) के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा रानी इंदुमती एवं राजकुमारी ज्ञानदा देवी के रिक्त स्थान पर संत आशाराम एवं कौशिक पटेल पुत्र श्री केशवलाल पटेल नामक दो व्यक्तियों के नाम सक्ति ट्रस्ट के न्यासियों के रूप में सम्मिलित करवा दिए। वर्तमान में इनके द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट की भूमि पर व्यावसायिक तरीके से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। साथ ही ट्रस्ट की भूमि को बेचा भी जा रहा है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. मेरी पूर्वज रानी इंदुमती देवी एवं राजकुमारी ज्ञानदा देवी ने आदिवासी समाज के उत्थान एवं लोक कल्याणकारी भावना के साथ सक्ति ट्रस्ट का गठन किया था। जिसे गलत तरीके से गैर आदिवासी लोगों द्वारा हड़प लिया गया है। रानी इंदुमती देवी का उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है उसके लिए सक्ति ट्रस्ट काम करे। अतः आयोग से निवेदन है कि सक्ति ट्रस्ट की विस्तृत जांच कर तथा ट्रस्टी बॉडी को भंग कर मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए ताकि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका संचालन हो सके।

10. जिला कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा से उपस्थित एसडीएम ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए बताया, वर्ष 1965 में 9 लाख 63 हजार 112 वर्गफीट जमीन पर इंदुमती को सरकार द्वारा लीज दिया गया। इसके बाद वर्ष 1982-83 के नजरूल रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। 22 मई 1987 में इंदुमती देवी व ज्ञानदा देवी द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में एक न्यास पंजीकृत कराया गया जिसमें लक्ष्मी देवी, सुधा राजपूत, रेणू वर्मा सदस्य थीं। इसके बाद वर्ष 1997 में एसडीओ(राजस्व) के न्यायालय में सक्ति ट्रस्ट के नाम से लोक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन का आवेदन दिया गया था पहले यह निजी ट्रस्ट था। उस वक्त ट्रस्टी के रूप में इंदुमती, ज्ञानदा देवी, लक्ष्मी देवी, सुधा राजपुत, रेणू वर्मा सदस्य थीं।
    इसके बाद पुष्पेंद्र बहादुर सिंह पिता जीवेंद्र बहादुर सिंह ने रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट गठन के आदेश के खिलाफ एडीजे छिंदवाड़ा के यहां अपील किया। एडीजे छिंदवाड़ा ने ट्रस्ट गठन को सही माना और पुष्पेंद्र बहादुर के अपील को खारिज कर दिया। इस दौरान ट्रस्ट के तीन सदस्य गैर आदिवासी थे। इसके पुष्पेंद्र बहादुर सिंह लीज नवीनीकरण और लीज अपने नाम कराने के लिए हाई कोर्ट गए न कि एडीजे के आदेश के खिलाफ गए। हाईकोर्ट भी स्टेटस को मेंटेन रखा और इन्हें 8 सप्ताह में अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा लेकिन इन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

11. अभ्यावेदक ने बताया, वर्ष 1997 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है जबकि वर्ष 90 में ही इंदुमती देवी की मौत हो गई थी। ज्ञानदा देवी ने इसके खिलाफ शिकायत भी की थी। मुख्य ट्रस्टी की मौत हो जाने के बाद उसके नाम पर ट्रस्ट का गठन ही गलत है। किसी मृतक के नाम को कैसे रिकॉर्ड में सदस्य के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 1998 में ट्रस्ट के सदस्य के रूप में संत आशाराम व कौशिक पटेल का नाम सदस्य के रूप में नाम जोड़ दिया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12. एसडीएम ने बताया, वर्ष 1997 में ज्ञानदा देवी के आवेदन पर इंदुमती का नाम ट्रस्टी से विलोपित किया गया। इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन-कौन लोग ट्रस्ट के सदस्य होंगे। वर्ष 1998 में ट्रस्ट के वकील द्वारा मृत सदस्य इंदुमती व ज्ञानदा देवी के स्थान पर दो नए सदस्य आशाराम व कौशिक पटेल को ट्रस्टी बनाए जाने का अनुरोध किया गया जिसके बाद उनका नाम जोड़ा गया। वर्ष 2003 में इंदुमती व ज्ञानदा देवी का नाम खारिज कर दिया गया और लीज में सक्ति ट्रस्ट का नाम आ गया। नाम जोड़े जाने के खिलाफ अपीलार्थी सुरेंद्र बहादुर सिंह पिता जिवेंद्र बहादुर सिंह एसडीएम(नजुल अधिकारी) के आदेश के खिलाफ कलेक्टर के यहां अपील किए। कलेक्टर ने इनके अपील को खारिज कर दिया क्योंकि एसडीएम ने नियमानुसार नाम जोड़ने की प्रक्रिया पुरी की थी। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ इन्होंने कहीं अपील नहीं किया।
13. वर्ष 2003 में कौशिक पटेल सक्ति ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हो गए उनके द्वारा नजुल अधिकारी के पास ट्रस्ट के 75,000 वर्ग फीट भूमि का उपयोग शैक्षणिक प्रायोजन के लिए परिवर्तित करने और लीज नवीनीकरण का अनुरोध किया गया। नजुल अधिकारी ने कलेक्टर के आदेश पर 75,000 वर्ग फीट जमीन का उपयोग शैक्षणिक प्रायोजन के लिए परिवर्तित किया गया शेष भूमि सक्ति ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है। सक्ति ट्रस्ट के लीज को वर्ष 2025 तक के लिए नवीनीकरण किया गया।
14. अभ्यावेदक ने कहा, आदिवासी की जमीन पर गैर आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। आदिवासी की जमीन अन्य लोगों को कैसे दी जा सकती है उस पर अगर ट्रस्ट भी है तो वह आदिवासी लोगों का ट्रस्ट ही होना चाहिए। सक्ति ट्रस्ट से रानी इंदुमती का वंशज होने के बाद भी हमें बाहर कर दिया गया। हमारे पूर्वजों ने आदिवासियों के कल्याण और समाज के अन्य वर्गों के उत्थान के लिए ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है।
15. एसडीएम ने बताया, ट्रस्ट के गठन के समय भी सभी सदस्य आदिवासी नहीं थे। सिर्फ दो सदस्य ही आदिवासी थे। जमीन की लीज ट्रस्ट के नाम पर है किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, ऐसे में वह आदिवासियों की जमीन नहीं होकर ट्रस्ट की जमीन है। अगर ट्रस्ट अपने निर्धारित उद्दश्यों की पूर्ति के लिए काम नहीं करता है तो प्रशासन द्वारा उसकी जांच की जाएगी और ट्रस्ट को भंग कर नए ट्रस्ट गठन करने की प्रक्रिया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

16. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की -:

- श्रीमती इंदुमती और ज्ञानदा देवी ने जिस उद्देश्य के साथ ट्रस्ट का गठन किया था वह वर्तमान में अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल प्रतीत होता है। साथ ही ट्रस्ट में से उन्हें हटा दिया गया तथा उनके वंशजों को भी ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जबकि उन्होंने ट्रस्ट डीड अपनी अंतिम इच्छानुरूप अपने वंशजों का नाम अंकित किया था। इसकी शिकायत श्रीमती ज्ञानदा देवी ने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अन्य प्राधिकारियों से वर्ष 1997 में की थी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा इस पर की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जाए।
- ऐसा प्रतीत हुआ है कि षडयंत्र के तहत इनको और इनके वंशजों को ट्रस्ट से हटाया गया है। इस प्रकार से एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला और उनके वंशजों के साथ अन्याय किया गया है। आयोग यह अनुशंसा करता है कि इस तरह के मामले में दोषियों के खिलाफ संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
- आयोग में प्रस्तुत तथ्य और साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ट्रस्ट द्वारा उसकी स्थापना के समय के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है और ट्रस्ट द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। आयोग द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि जिला प्रशासन एक कमिटी गठित कर मामले की संपूर्ण जांच कर संबंधित नियमों के अनुरूप कार्यवाही करे ।
- साथ ही कमिटी यह भी जांच करे कि वर्तमान में जो ट्रस्टी बने हैं वे किस नियम के तहत बने हैं उनकी वैधानिक स्थिति क्या है तथा उसके लिए जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वे तत्समय वैध थे या नहीं।
- अभ्यावेदक के अनुसार चूंकि यह अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन है, अतः इसमें स्थापना के मूल ट्रस्टी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, उनके वंशजों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। अतः प्रशासन इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसमें उनके वंशजों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराएं।
- जिला प्रशासन 1 माह के अंदर अपनी सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट तथा की गई कार्यवाई से आयोग को अवगत कराये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(NSU/14/2017/STGMP/DELAAL/RU- III)

(RSBS/44/2018/STGMP/DELAAL/RU-III)

पूर्वजों की जमीन सक्ति हाउस छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश में आशाराम एवं उनके साथियों द्वारा किए गए अवैध कब्जा को हटाकर कब्जा दिलाने बाबत – श्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, सक्ति स्टेट, छत्तीसगढ़, हरिगुजर महल सक्ति, जिला जांजगीर के अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 06/03/2019 को आयोग में आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष महोदया
  2. श्री ए. के सिंह, सचिव
  3. डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  4. श्री गौरव कुमार, माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
  5. श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **जिला कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के अधिकारी**
  1. श्री अतुल सिंह, एसडीएम
- **अभ्यावेदक**
  1. श्री धर्मेंद्र सिंह
  2. सिद्धेश्वरी सिंह